

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/215 दिनांक : 21.8.2013

—: कार्यालय आदेश :-

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(25)नवि/3/2006 जयपुर दिनांक 06.05.2013 के द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शारित में दिनांक 30.06.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे; इसी क्रम में मण्डल कार्यालय आदेश क्रमांक 108 दिनांक 24.05.2013 प्रसारित किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3(25)नवि/3/2006 जयपुर दिनांक 08.08.2013 द्वारा छूट की अवधि आदेश जारी होने की दिनांक से 30.09.2013 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी क्रम में मण्डल स्तर पर भी मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शारित में दिनांक 30.09.2013 तक छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	06.09.2013
मांग पत्र जारी करने की अंतिम तिथि	:	20.09.2013
मांग राशि जमा करने की अंतिम तिथि	:	30.09.2013

दिनांक 30.09.2013 के पश्चात् नियत समय में प्राप्त आवेदन पत्र निस्तारण से लम्बित रहते हैं, तो सन्बन्धित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता उक्त कृत्य के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे एवं उनसे बिना कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त रा. आ. म.
11. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
12. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


(डी.सी. चौधरी)
वित्तीय सलाहकार